

जावत 0/c

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग, जिला दुर्ग (छ०ग०) //ज्ञापन//

क्रमांक क्यू०/जि०वि०से०प्रा०/2026

दुर्ग दिनांक 31/07/2026

प्रति,

अध्यक्ष,
जिला अधिवक्ता संघ,
दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

विषय:- "मध्यस्थता राष्ट्र के लिए - 3.0" विशेष राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान की सफलता में सहयोग प्रदान किए जाने के संबंध में।

--००--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि एमसीपीसी (MCPC) द्वारा "मध्यस्थता राष्ट्र के लिए - 3.0" शीर्षक से विशेष राष्ट्रव्यापी मध्यस्थता अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रकरण रेफर किए जाने की अवधि 01/08/2026 से 30/09/2026 तक निर्धारित है।

उक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से वाद-पूर्व (प्री-लिटिगेशन) तथा न्यायालयों में लंबित उपयुक्त मामलों का सौहार्दपूर्ण, शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। मध्यस्थता प्रक्रिया की सफलता में अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ही पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान के लाभों से अवगत कराने तथा उन्हें मध्यस्थता हेतु प्रेरित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

उक्त संबंध में अधिवक्ता संघ दुर्ग के समस्त सम्मानित सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे:-

1. पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों के संबंध में जागरूक करें;
2. मध्यस्थता हेतु उपयुक्त मामलों की पहचान कर उन्हें संदर्भित करें; तथा
3. पक्षकारों को मध्यस्थता कार्यवाही में सकारात्मक एवं सहयोगात्मक रूप से भाग लेने हेतु प्रेरित करें।

जो पक्षकार मध्यस्थता हेतु तैयार हैं, उनकी सूचना एवं सूची संबंधित न्यायालय को प्रदान करें।

अतः आपसे आग्रह है कि अधिवक्ता संघ दुर्ग के समस्त अधिवक्ताओं के मध्य उक्त सूचना का अधिक से अधिक प्रसार किए जाने हेतु ज्ञापन/सूचना पत्र जारी किए जाने का सहयोग करें।

स्थान:-दुर्ग (छ०ग०)

दिनांक 31/07/2026



(सचिव) 31/07/2026
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग (छ०ग०)
0/c